Gadgil formula for the disbursement of funds amongst the States;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Gadgil formula have been suitable; and

(d) whether the former Deputy Chairmen of the Planning Commission had assured the members that Government would amend the Gadgil formula?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) The disbursement of Central assistance for State Plans has so far been based on the modified Gadgil Formula as approved by the National Development Council in 1980. There have been suggestions for modification which are under examination in the context of the Eighth Plan formulation. The formula could be modified only with the approval of National Development Council.

(d) Yes, Sir. The former Deputy Chairman of the Planning Commission had stated in the recently held N.D.C. meeting that as situation changed, conditions changed and hence it would be necessary to consider the various suggestions made in respect of modification in the formula.

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में व्यय

147. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 22 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1379 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा में प्रदूषण को रोकने संबंधी कार्य योजना पर वाराणसी में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत और कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है और क्या सरकार ने अब तक इस योजना की सफलता के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में 41.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 35 स्कीमें मंजूर की गई हैं। जून, 1990 तक 34.31 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंजूर की गई 35 स्कीमों में से, 25 स्कीमें अब तक पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें 7 अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीमें और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.) में 2 सीवेज उपचार संयंत्र की स्कीमें शामिल हैं। तीन अल्प-लागत सफाई से संबंधित स्कीमें, जिसमें 62 सामुदायिक शौचालय परिसर तथा 670 पोर फ्लश शौचालय शामिल हैं, पूरी की जा चुकी हैं। गंगा नदी में प्रतिदिन बहने वाले 25 मिलियन अपशेष जल का अवरोधन करके उसकी दिशा बदली गई है और उपचारित किया गया है। घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) तथा बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी. ओ. डी.) के सन्दर्भ में वाराणसी में जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 1986 में घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) का स्तर जोकि 5.87 मिलीग्राम प्रति लीटर (एम.जी./एल.) था, वह 1989 में मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम. जी./एल.) तक पहुंच गया तथा उसी अवधि में बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी. ओ.डी.) का स्तर 10.60 मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम.जी./एल.) से कम होकर 3.95 मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम. जी./एल) तक हो गया है। गंगा कार्य योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गंगा परियोजना निदेशालय ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर, और गंगा

कार्य योजना के प्रभाव का मूल्यांकन तैयार करने के लिए अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.पी.एच.) कलकत्ता की स्थापना की है। इस अध्ययन की अवधि दिसम्बर, 1988 से आरम्भ होकर तीन वर्ष की है और यह गंगा कार्य योजना की लागतों और लाभों का हिसाब रखने से संबंधित है जोकि वाराणसी और पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में समुदाय के इंजीनियरी और स्वास्थ्य लाभों के विशेष सन्दर्भ में है।

रक्षा आयुध फैक्टरियों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

148. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में रक्षा आयुध फैक्टरियां अपनी-अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) इनकी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना): (क) और (ख) 1989-90 में आयुध निर्माणियों में वर्ष के दौरान उपयोग की गई कुल क्षमता कर्मचारियों के काय करने के मानक घंटों के रूप में 100.09 प्रतिशत थी।

(ग) इस सम्बंध में किए गए उपायों ये शामिल हैं:-

1. रेलवे, केन्द्रीय और राज्य पुलिस एवं सुरक्षा बलों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसे गैर-रक्षा प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित मदों के निर्माण के क्षेत्रों में हाथ बढ़ाना और

2. आयुध निर्माणी के उत्पादों का विदेशों को निर्यात करना।

(घ) जी, नहीं। क्षमता का कम उपयोग तथा ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित उपायों से उस क्षमता का उपयोग होने से फालतू क्षमता में कमी आने की संभावना को देखते हुए सरकार इस उद्देश्य के लिए कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझती।

Misuse of National Museum Premises

149. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Museum was recently used as a venue for holding a lavish party in which drinks were freely served; and

(b) if so, the details thereof and the authority which permitted misuse of this important Institute; and

(c) what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) Yes, Sir. The open court-yard of the National Museum was used as the venue by the Messile Lunch, New York to host a reception for the participants of the Asian Development Bank on 3rd May, 1990. Director General, National Museum permitted the holding of the reception after obtaining verbal clearance of the Department in August, 1989.